रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 955] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2017/चैत्र 16, 1939
No. 955] NEW DELHI, THURSDAY APRIL 6, 2017/CHAITRA 16, 1939

## वस्त्र मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2017

**का.आ. 1081(अ).**—यतः, वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) निजी क्षेत्र की वस्त्र मिलों के ऐसे कामगारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से 15.09.1986 से अस्तित्व में आई थी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ण) के अंतर्गत राज्य सरकार की अनुमति से इन मिलों के स्थायी रूप से बंद कर दिए जाने अथवा ऐसी मिलों/इकाइयों के बंद किए जाने की प्रक्रिया में उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आधिकारिक परिसमापक नियुक्त कर दिए जाने के कारण बेरोजगार हो गए थे। यह योजना राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य/केंद्र सरकार के सहकारी क्षेत्र से वस्त्र इकाइयों पर लागू नहीं है। 05.06.1985 को अथवा इसके उपरांत बंद मिलों को शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन टीडब्ल्यूआरएफएस के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2. और यतः, वस्त्र मंत्रालय, मिलों के स्थायी रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए ऐसे वस्त्र कामगारों को, जो 3500 रुपए प्रतिमाह तक वेतन/मजदूरी प्राप्त कर रहे थे/हैं, केवल तीन वर्षों के लिए क्रमशः घटते हुए आधार पर, पहले वर्ष में 75% मजदूरी, दूसरे वर्ष में 50% तथा तीसरे वर्ष में 25% के बराबर राहत उपलब्ध कराता है।

3. और यतः, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना ईएसआई योजना, (न्यूनतम 3 वर्ष के लिए) के अंतर्गत शामिल ऐसे कामगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराती है जो 15,000 रुपए प्रतिमाह तक वेतन/मजदूरी का आहरण कर रहे थे/हैं और जो फैक्ट्री में छंटनी/बंदी के कारण अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हो गए हैं।

4. और यतः, श्रमिक कल्याण योजना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चिकित्सा लाभ भी उपलब्ध कराता है।

5. और यतः, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) देशभर में 2017 तक ईएसआई योजना का विस्तार कर रहा है, जहां पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले तथा बेरोजगार हो गए वस्त्र कामगार ईएसआईसी अधिनियम के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। और ईएसआई अधिनियम की धारा 61 में किए गए उल्लेख के अनुसार एक बार किसी कर्मचारी द्वारा ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किए जाने के उपरांत वह किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत कोई अन्य सामान लाभ प्राप्त करने से प्रतिबंधित होगा/होगी।

6. और यत:, टीडब्ल्यूआरएफएस के अंतर्गत 3500 रुपए की प्रतिमाह की मजूदरी सीमा की तुलना में आरजीएसकेवाई के अंतर्गत मजूदरी सीमा 15,000 रुपए है।

7. इसलिए अब, वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना को राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के साथ विलय करने और टीडब्ल्यूआरएफएस को 01.04.2017 से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

8. यह अधिसूचना, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14/3/2011-पीएल]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th April, 2017

**S.O. 1081(E).—**Whereas, Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme (TWRFS) came into existence with effect from 15.09.1986 with the intention to safeguard the interest of workers of private sector textile mills who have been displaced by their permanent closure with the permission of State Government under Section 25(O) of Industrial Dispute Act, 1947 or the mill/unit where Official Liquidator is appointed by High Court under the Companies Act, 1956 in the process of winding up. The scheme is not applicable to the State/Central Govt. Public Sector Undertakings and the textile units in the co-operative fold of the State/ Central Govt. The mills closed on or after 5.6.1985 are covered under TWRFS subject to fulfillment of conditions.

2. And Whereas, the Ministry of Textiles provides relief to the textile workers rendered jobless due to permanent closure of the mills only for three years on a tapering basis, 75% of the wage equivalent in the first year, 50% in the second year and 25% in the third year, who are/ were drawing salary/wage up to 3,500/- per month.

3. And Whereas Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna provides an unemployment allowance for the employees covered under ESI scheme (minimum for 3 years), who are rendered unemployed involuntarily due to retrenchment/closure of factory etc. who are/were drawing salary/wage up to **Rs. 15,000/-** per month.

4. And Whereas, under the Shramik Kalyan Yojana, Ministry of Labour and Employment provides medical benefits also.

5. And Whereas, the Employee State Insurance Corporation (ESIC) is expanding the ESI scheme in the entire country by 2017 throughout the country, where even the textile workers rendered unemployed and fulfilling the eligibility conditions, would be able to receive Unemployment Allowance under the ESIC Act. And that, once an employee receives any benefit under the ESI Act, he or she shall be barred from receiving any other similar benefits under any other Govt. Scheme as laid down u/s 61 of the ESI Act.

6. And Whereas, under RGSKY the wage limit is Rs. 15,000/- against the wage limit of Rs. 3500/- per month under TWRFS.

7. Now therefore, it has been decided to merge the Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme with Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna and to discontinue TWRFS w.e.f. 01.04.2017.

8. This notification shall come into effect from the date of its publication in Gazette of India.

[F. No.14/3/2011-PL]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.04.08 16:48:53 +05'30'